Mains Matrix

विषय सूची

1. **रोजगार को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मानें**
2. **आपदा सहनशीलता के लिए भारत की दिशा**
3. **भारत की अदालतों के लिए ADR (वैकल्पिक विवाद समाधान) क्यों महत्वपूर्ण है?**

रोज़गार को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में अपनाएं

(Treat Employment as a National Priority)

परिचय (Introduction)

भारत इस समय एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय मोड़ पर खड़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी कार्यशील आयु की जनसंख्या के साथ, भारत अगले 25 वर्षों में अपनी कार्यबल में **लगभग 13.3 करोड़ लोग** जोड़ेगा — जो **वैश्विक कार्यबल वृद्धि का लगभग 18%** होगा।

हालांकि, यह अवसर सीमित समय के लिए है क्योंकि भारत का **जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend)** वर्ष **2043** तक चरम पर पहुंचने की संभावना है।

ऐसे में, **रोज़गार सृजन** को केवल आर्थिक लक्ष्य के रूप में नहीं बल्कि **राष्ट्रीय प्राथमिकता** के रूप में देखा जाना चाहिए — जो **समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक स्थिरता** के लिए आवश्यक है।

रोज़गार सृजन का महत्व (Importance of Employment Generation)

1. **आर्थिक समावेशन और समानता:** गुणवत्तापूर्ण नौकरियां बड़े पैमाने पर गरीबी घटा सकती हैं, क्षेत्रीय व लैंगिक असमानता कम कर सकती हैं, और विकास के लाभों का समान वितरण सुनिश्चित कर सकती हैं।
2. **सामाजिक स्थिरता:** रोजगार आजीविका प्रदान करता है, सामाजिक लचीलापन बढ़ाता है, और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करता है।
3. **खपत-आधारित विकास:** भारत जैसी उपभोग-प्रधान अर्थव्यवस्था में व्यापक आय वृद्धि स्थायी मांग को प्रोत्साहित करती है।
4. **जनसांख्यिकीय लाभ का उपयोग:** युवा आबादी तभी उत्पादक बन सकती है जब उसे उपयुक्त **कौशल और रोजगार** मिले।

वर्तमान चुनौतियाँ (Current Challenges)

1. खंडित दृष्टिकोण और एकीकृत नीति का अभाव

कौशल विकास से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक कई केंद्र और राज्य स्तर की पहलें होने के बावजूद, भारत के पास अब तक एक **एकीकृत**

राष्ट्रीय रोजगार नीति (INEP) नहीं है।
मौजूदा कार्यक्रम बिखरे हुए, अल्पकालिक हैं और श्रम बाजार की **आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों** को समुचित रूप से नहीं जोड़ते।

2. कौशल और नौकरी की मांग में असंगति

कौशल विकास योजनाएँ अक्सर उद्योग की आवश्यकताओं से मेल नहीं खातीं।
कॉलेज पाठ्यक्रम **रोज़गार योग्यता (employability)** से असंगत हैं, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षित परंतु बेरोज़गार युवा तैयार हो रहे हैं।

3. रोजगारविहीन विकास (Jobless Growth)

आर्थिक वृद्धि के बावजूद **रोज़गार सृजन समानुपाती नहीं** हुआ है।
निर्माण और सेवा क्षेत्र अधिक पूंजी-प्रधान (capital-intensive) हैं, जिससे **रोज़गार लचीलापन (employment elasticity)** कम रहा है।

4. महिलाओं की कम श्रम भागीदारी

रुकावटों में शामिल हैं:

- घरेलू व देखभाल कार्य का बोझ,
- असुरक्षित कार्य वातावरण,
- लचीले अवसरों की कमी।

भारत की महिला श्रम भागीदारी दर **विश्व में सबसे कम** में से एक है।

5. आंकड़ों की कमी (Data Deficiency)

रियल-टाइम और सूक्ष्म स्तर पर **रोज़गार डेटा** उपलब्ध नहीं है।
विलंबित और असंगत सर्वेक्षण **साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण** में बाधा डालते हैं।

नीति सुझाव (Policy Recommendations)

1. एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति (INEP)

- मौजूदा योजनाओं को समेकित करते हुए **एकीकृत और राष्ट्रीय रोजगार नीति** बनाई जाए।
- संचालन एक **सशक्त सचिव समूह (Empowered Group of Secretaries)** द्वारा किया जाए, जिसे जिला योजना समितियों के माध्यम से समन्वित किया जाए।
- रोजगार क्षमता के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए जाएँ, जैसे—
  - औद्योगिक नीति
  - शिक्षा एवं कौशल विकास
  - श्रम सुधार

2. दीर्घकालिक रोजगार सृजन पर ध्यान

- खंडित या अल्पकालिक कार्यक्रमों की बजाय **निरंतर निवेश और क्षेत्रीय विकास** को बढ़ावा दिया जाए।
- **मांग-पक्ष (sectoral expansion)** और **आपूर्ति-पक्ष (skills, mobility, gender inclusion)** दोनों पर समान रूप से ध्यान दिया जाए।

3. नौकरी की गुणवत्ता और सुरक्षा को मजबूत करें

- बेहतर वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
- श्रमिकों के लिए **केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली** बनाई जाए ताकि उनका कार्य इतिहास और अधिकार सुरक्षित रहे।
- **न्यायपूर्ण अनुबंध (fair contracts)** और **शिकायत निवारण तंत्र** संस्थागत रूप से स्थापित किए जाएँ।

4. समावेशी और लैंगिक-संवेदनशील रोजगार

- महिलाओं और वंचित समूहों को **कौशल विकास और पुन: कौशल (reskilling)** के माध्यम से औपचारिक क्षेत्र में जोड़ा जाए।
- आंगनवाड़ी, आशा, बाल व वृद्ध देखभाल जैसे क्षेत्रों में रोजगार का विस्तार किया जाए।
- **दूरस्थ कार्य (remote work)**, **ग्रामीण इंटर्नशिप** और **गिग इकॉनमी** को प्रोत्साहित किया जाए।

5. क्षेत्रीय रूप से संतुलित रोजगार (Regionally Balanced Employment)

- **टियर-2 व टियर-3 शहरों** और ग्रामीण जिलों में रोजगार बढ़ाने के लिए—
  - स्थानीय विनिर्माण क्लस्टर
  - कृषि-प्रसंस्करण इकाइयाँ
  - पर्यटन और स्वास्थ्य हब विकसित किए जाएँ।
- राज्यों के बीच श्रमिक गतिशीलता के लिए **"वन इंडिया" मॉडल** अपनाया जाए।

6. रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (Employment-Linked Incentive – ELI)

- नियोक्ताओं को **औपचारिक और स्थायी नौकरियाँ सृजित करने पर प्रोत्साहन** दिया जाए।
- लाभों को **मापनीय रोजगार परिणामों** से जोड़ा जाए।

7. डेटा सुधार (Data Reforms)

- **रियल-टाइम श्रम बाजार डेटा** के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स गठित की जाए।
- सर्वेक्षण कवरेज बढ़ाया जाए, कार्यप्रणाली आधुनिक बनाई जाए और **डेटा लैग** कम किया जाए।

आगे की राह (Way Forward)

- **रोज़गार** को **विकास और मुद्रास्फीति** की तरह एक **मौद्रिक नीति लक्ष्य** के रूप में अपनाया जाए।
- सभी प्रमुख सार्वजनिक निवेशों के लिए **रोज़गार ऑडिट** संस्थागत किए जाएँ।
- **कौशल–उद्योग साझेदारी** को निजी कंपनियों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए।
- महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए **केयर इकॉनमी** और **सुरक्षा अवसंरचना** को सशक्त किया जाए।

MENTORA IAS "YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

- **हरित (green)** और **डिजिटल नौकरियाँ** जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, AI और रोबोटिक्स में अवसरों का विस्तार किया जाए।

निष्कर्ष (Conclusion)

रोज़गार सृजन को भारत की **विकास रणनीति के केंद्र** में रखा जाना चाहिए।
एक **सुसंगत, डेटा-आधारित और समावेशी दृष्टिकोण**, जो दीर्घकालिक नीति दृष्टि से संचालित हो, भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को **सतत विकास के इंजन** में बदल सकता है।

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के दृष्टिकोण के अनुसार —

"रोज़गार केवल विकास का उप-उत्पाद नहीं, बल्कि एक रणनीतिक राष्ट्रीय प्राथमिकता है।"

समान, लचीले और टिकाऊ आजीविका के माध्यम से भारत **2047 तक एक रोजगार-संपन्न अर्थव्यवस्था** बन सकता है।

How to use

प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था)

यह सबसे सीधा और महत्वपूर्ण संबंध है। यह विषय "भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का संचलन, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे" तथा "समावेशी विकास" के अंतर्गत आता है।

1. विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे:

- **कैसे उपयोग करें:** यह संपूर्ण दस्तावेज़ भारत में बेरोजगारी पर किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक रूपरेखा (blueprint) है।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश और समयसीमा:** परिचय यह कहकर मुद्दे को शक्तिशाली ढंग से प्रस्तुत करता है कि 2043 तक भारत अपने श्रम बल में 133 मिलियन लोगों को जोड़ेगा, जिसके बाद यह लाभांश चरम पर होगा। यह सामान्य बिंदुओं से आगे बढ़कर चर्चा को तात्कालिकता की भावना पैदा करता है।
- **बेरोजगारी के साथ विकास (Jobless Growth):** लेख भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल विरोधाभास – आनुपातिक रोजगार सृजन के बिना विकास – की पहचान करता है और इसे सही ढंग से प्रमुख क्षेत्रों की पूंजी-गहन प्रकृति का परिणाम बताता है।
- **एकीकृत नीति की आवश्यकता:** "खंडित" योजनाओं की आलोचना और एक एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति (INEP) की मांग बेरोजगारी से निपटने की चुनौतियों की गहरी समझ दर्शाती है।

2. समावेशी विकास और इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे:

- **कैसे उपयोग करें:** महिला श्रम बल भागीदारी की कमी और क्षेत्रीय संतुलित रोजगार की आवश्यकता की चुनौतियाँ

समावेशी विकास प्राप्त करने के केंद्र में हैं।

- "केयर इकोनॉमी" (बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल) को संबोधित करने और टियर-2/3 शहरों में काम को बढ़ावा देने की सिफारिशें ठोस, क्रियान्वयन योग्य समाधान हैं जो दिखावे से परे हैं।

मजबूत प्रासंगिकता: जीएस पेपर II (शासन)

प्रस्तावित समाधान मूल रूप से शासन संरचनाओं और नीति कार्यान्वयन के बारे में हैं।

1. विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप:

- **कैसे उपयोग करें:** लेख मौजूदा सरकारी प्रयासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रदान करता है।
- **कार्यान्वयन अंतराल:** यह बताता है कि कई योजनाओं के बावजूद, एक एकीकृत नीति के अभाव में अक्षमता आती है। सचिवों के एक सशक्त समूह और जिला योजना समितियों के उपयोग का प्रस्ताव एक विशिष्ट शासन सुधार सुझाव है।
- **साक्ष्य-आधारित नीति:** "डेटा की कमी" अनुभाग एक प्रमुख शासनिक विफलता को उजागर करता है। रियल-टाइम श्रम डेटा पर एक टास्क फोर्स की सिफारिश जनवादी योजनाओं से आगे बढ़कर प्रभावी, लक्षित हस्तक्षेपों के लिए महत्वपूर्ण है।

2. लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका:

- **कैसे उपयोग करें:** प्रस्तावित शासन संरचना (सचिवों का सशक्त समूह, जिला योजना समितियां) एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के समन्वय में सिविल सेवा की एक विशिष्ट भूमिका को रेखांकित करती है, जो विभागीय कार्यप्रणाली से आगे बढ़ती है।

भारत की आपदा लचीलापन की दिशा

लेखक: साफी अहसान रिज़वी – सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

---

1. संदर्भ (Context)

भारत एक विशाल और **बहु-आपदा-प्रवण देश** है, जहाँ बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूकंप और हीटवेव जैसी आपदाएँ बार-बार आती रहती हैं। **पूर्व-आपदा और पश्च-आपदा उपायों** को एकीकृत करने वाला **बहुआयामी दृष्टिकोण** आवश्यक है, ताकि संवेदनशीलता (vulnerability) कम की जा सके और लचीलापन (resilience) बढ़ाया जा सके।

प्रधानमंत्री के **आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction – DRR)** पर **दस सूत्रीय एजेंडा (2016)** के अनुरूप, गृह मंत्रालय और NDMA नीति और सार्वजनिक वित्त में DRR को समाहित करने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं।

---

2. संस्थागत और नीतिगत ढाँचा (Institutional and Policy Framework)

A. 15वें वित्त आयोग (2021) की भूमिका

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के लिए **संतुलित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण** अपनाया गया।
- सार्वजनिक वित्त को **तकनीकी और व्यावहारिक प्रगति** के अनुरूप जोड़ा गया।
- **₹22,284 करोड़** (लगभग **3 अरब डॉलर**) की राशि पाँच वर्षों के लिए आवंटित की गई।

B. व्यापक फोकस (Broadened Focus)

पहले: केवल **आपदा के बाद राहत और पुनर्निर्माण** पर ध्यान था।
अब शामिल हैं:

- रोकथाम (Prevention)
- शमन (Mitigation)
- तैयारी (Preparedness)
- क्षमता निर्माण (Capacity Building)
- पश्च-आपदा पुनर्निर्माण (Post-Disaster Reconstruction)

---

3. निधि आवंटन संरचना (Fund Allocation Structure)

घटक (Component)	**आवंटन का हिस्सा**	**प्रमुख क्षेत्र (Focus Area)**
तैयारी और क्षमता निर्माण	30%	कौशल वृद्धि, प्रणाली की तत्परता
शमन (Mitigation)	20%	निवारक उपाय
राहत, प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण	50%	त्वरित और दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति

---

4. प्रकृति-आधारित DRR के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएँ (Strategic Priorities for Nature-Based DRR)

वित्त आयोग ने **प्रकृति-आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Nature-Based DRR)** के पाँच प्रमुख क्षेत्र तय किए:

1. राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर **बहु-आपदा चुनौतियों** का मूल्यांकन।
2. DRR योजना में **वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता** को शामिल करना।
3. सार्वजनिक वित्त में **शमन और पुनर्निर्माण को मुख्यधारा में लाना**।
4. **मंत्रालयों और केंद्र-राज्य समन्वय** के माध्यम से दोहराव से बचना।
5. परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति के लिए **लचीले विनियामक ढाँचे (light-touch regulation)** विकसित करना।

---

5. वित्तीय और प्रशासनिक नवाचार (Financial and Administrative Innovations)

- **बजट से परियोजना तक (budget-to-project)** की प्रक्रिया अपनाई गई, जिससे व्यय में लचीलापन आया।
- **डिज़ाइन और व्यय मानकों** को सरल और सुव्यवस्थित किया गया।
- **अंतर-मंत्रालयी और क्षेत्रीय मूल्यांकन समितियाँ** बनाई गईं जो विशिष्ट आपदाओं या क्षेत्रों के लिए कार्य करती हैं।
- उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और केरल के लिए **₹5,000 करोड़** मूल्य के **पुनर्निर्माण पैकेज** स्वीकृत किए गए।

---

6. पूर्व-आपदा चरण के उपाय (Pre-Disaster Phase Measures)

A. तैयारी और आधुनिकीकरण (Preparedness and Modernisation)

- **₹5,000 करोड़** का आवंटन अग्नि सुरक्षा और क्षमता निर्माण के आधुनिकीकरण के लिए किया गया।
- विशेष समूह गठित किए गए:
  - **आपदा मित्र (Apda Mitra)** – सामुदायिक स्वयंसेवक
  - **युवा आपदा मित्र (Yuva Aapda Mitra)** – युवाओं की भागीदारी
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM)** में भू-स्थानिक प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं और **क्रियाशील अनुसंधान (action-based research)** को सशक्त किया गया।

B. क्षमता निर्माण (Capacity Building)

- **36 राज्य आपदा प्रबंधन दलों** को प्रशिक्षित किया गया।
- स्थानीय स्तर पर उपयोगी **प्रशिक्षण पाठ्यक्रम** तैयार किए गए।
- **पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय अधिकारियों** को DRR योजना में शामिल किया गया।

---

7. शमन पर फोकस (20% आवंटन) (Focus on Mitigation)

A. प्रकृति-आधारित समाधान (Nature-Based Solutions)

- ढलानों की स्थिरता, बाढ़ प्रबंधन और तटीय सुरक्षा के लिए **जैविक और पारिस्थितिक दृष्टिकोण** अपनाया गया।
- **बायो-इंजीनियरिंग**, **आर्द्रभूमियों (wetlands)** के पुनरुद्धार और **हरी पट्टियों** के निर्माण पर ध्यान।
- **₹10,000 करोड़** (लगभग **1.2 अरब डॉलर**) के परियोजनाएँ कई राज्यों में स्वीकृत और लागू की गईं।

B. राष्ट्रीय चक्रवात शमन कार्यक्रम (NCMP)

- **₹5,000 करोड़** तटीय लचीलापन बढ़ाने के लिए निर्धारित।
- आठ राज्यों को कवर करता है, जो **5,000 किमी संवेदनशील तटरेखा** पर फैले हैं।
- निर्माण में शामिल हैं:
    - **चक्रवात शरणस्थल (Cyclone Shelters)**
    - **बंध (Embankments)**
    - **सात-दिवसीय प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning Systems)**
    - **तटीय हरित पट्टियाँ (Coastal Green Belts)**

---

8. प्रारंभिक चेतावनी और प्रतिक्रिया प्रणाली सुदृढ़ करना (Strengthening Early Warning and Response Systems)

- NDMA ने **Common Alerting Protocol** विकसित किया है, ताकि क्षेत्रीय स्तर पर **समयबद्ध चेतावनी संदेश** भेजे जा सकें।
- **ग्लेशियल झीलों (Glacial Lakes)** की निगरानी के लिए **सेंसर-आधारित प्रणाली** विस्तारित की गई।
- **30 से अधिक विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों** को बहु-आपदा प्रारंभिक चेतावनी क्षमताओं में जोड़ा गया।
- **NDRF अकादमी, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज**, और **NIDM प्रशिक्षण केंद्र** को सरकारी कर्मचारियों के कौशल संवर्धन के लिए विकसित किया गया।

---

9. अंतरराष्ट्रीय सहयोग (International Cooperation)

भारत वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण ढाँचों को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जैसे:

- **आपदा-लचीला अवसंरचना गठबंधन (CDRI)**
- **G20, SCO, BIMSTEC, और IORA** के DRR कार्यक्रम
- विकासशील देशों को **क्षमता निर्माण और ज्ञान-साझाकरण** में सहयोग प्रदान करता है।
- **जलवायु वित्त (climate finance)** और **वैज्ञानिक सहयोग** के माध्यम से संवेदनशील अर्थव्यवस्थाओं को जोखिम-मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित।

---

10. परिणाम और दृष्टि (Outcomes and Vision)

मुख्य परिणाम (Key Outcomes)

- DRR को **सार्वजनिक वित्त और विकास योजना** में मुख्यधारा में लाया गया।
- **वैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकन** और **स्थानीय लचीलापन** पर अधिक जोर।
- **प्रकृति-आधारित और समुदाय-संचालित समाधान** को बढ़ावा।

- **केंद्र, राज्य और शैक्षणिक संस्थानों** के बीच बेहतर समन्वय।

दृष्टि (Vision)

भारत **राहत-केंद्रित दृष्टिकोण** से आगे बढ़कर **लचीलापन-उन्मुख आपदा प्रबंधन प्रणाली** की ओर अग्रसर है —
जहाँ **प्रौद्योगिकी, प्रकृति-आधारित समाधान** और **सामुदायिक क्षमता** का उपयोग करते हुए, **2047 तक** आपदाओं से होने वाले नुकसान को न्यूनतम और **जलवायु लचीलापन (climate resilience)** को अधिकतम किया जा सके।

HOW TO USE IT

मुख्य प्रासंगिकता: जीएस पेपर–III (आपदा प्रबंधन)

यह लेख सीधे तौर पर आधुनिक, सक्रिय और सशक्त आपदा प्रबंधन नीति का खाका प्रस्तुत करता है।

1. आपदा और आपदा प्रबंधन:

कैसे उपयोग करें:
यह लेख भारत में आपदा प्रबंधन के दर्शन और व्यवहार में हुए परिवर्तन का समग्र और अद्यतन अध्ययन प्रस्तुत करता है।

परिवर्तन का प्रतिमान (Paradigm Shift):
मुख्य निष्कर्ष यह है कि भारत ने "राहत-केन्द्रित" दृष्टिकोण से हटकर "लचीलापन-केन्द्रित (resilience-oriented)" दृष्टिकोण अपनाया है। यह आपदा प्रबंधन सिद्धांत का मूलभूत विचार है, और भारत की यह रणनीति इसका वास्तविक उदाहरण है।

15वें वित्त आयोग की भूमिका:
₹22,284 करोड़ की आवंटन राशि का विस्तृत विभाजन —

- 30% तैयारी (Preparedness),
- 20% शमन (Mitigation),
- 50% राहत एवं पुनर्निर्माण (Relief & Reconstruction) —
  यह दिखाता है कि भारत ने किस प्रकार **आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction – DRR)** को सार्वजनिक वित्त व्यवस्था में शामिल किया है। यह नीति और उसके कार्यान्वयन दोनों को जोड़ने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

विशिष्ट कार्यक्रम:
आप अपने उत्तर में निम्नलिखित का उल्लेख कर सकते हैं —

- **राष्ट्रीय चक्रवात शमन कार्यक्रम (NCMP)**,
- **फायर सर्विसेज का आधुनिकीकरण**,
- **प्रकृति-आधारित समाधान** जैसे जैव-इंजीनियरिंग, आर्द्रभूमियों (wetlands) का पुनर्जीवन, और हरित पट्टियाँ —
  ये सभी इस नए दृष्टिकोण के ठोस प्रमाण हैं।

---

2. आंतरिक सुरक्षा से संबंध:

कैसे उपयोग करें:
प्रभावी आपदा प्रबंधन आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

किसी बड़ी आपदा के बाद यदि राहत और प्रतिक्रिया तंत्र कमजोर हो, तो यह **जन-अशांति**, **कानून-व्यवस्था का विघटन**, और **असामाजिक तत्वों की सक्रियता** को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए एक सुदृढ़ और संगठित आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली, जैसा कि लेख में वर्णित है, राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने में सहायक है।

द्वितीयक प्रासंगिकता: जीएस पेपर–II (शासन व्यवस्था / Governance)

इस नीति का कार्यान्वयन **सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism)** और **प्रशासनिक दक्षता** की परीक्षा का उदाहरण है।

---

1. संघीय संरचना से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ:

कैसे उपयोग करें:
लेख **केंद्र–राज्य समन्वय (Centre-State Coordination)** के महत्व को रेखांकित करता है।
"**अंतर-मंत्रालयी और अंतर-संस्थागत मूल्यांकन समितियों (Appraisal Committees)**" की स्थापना तथा "**पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय अधिकारियों**" को शामिल करना एक **बहु-स्तरीय शासन दृष्टिकोण (Multi-Level Governance)** का उदाहरण है, जो राष्ट्रीय रणनीति की सफलता के लिए आवश्यक है।

---

2. विकास हेतु सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप:

कैसे उपयोग करें:
पूरा आपदा लचीलापन कार्यक्रम एक **प्रमुख सरकारी हस्तक्षेप (Major Government Intervention)** है।

आप इसके प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख कर सकते हैं —

- **पाँच प्रमुख पुनर्निर्माण पैकेज** (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और केरल के लिए),
- **36 राज्य आपदा प्रबंधन दलों का प्रशिक्षण।**

ये उदाहरण दर्शाते हैं कि सरकार आपदा जोखिम न्यूनीकरण को प्रशासनिक और वित्तीय योजनाओं के केंद्र में ला रही है।

भारत की न्याय व्यवस्था के लिए एडीआर (Alternative Dispute Resolution) क्यों आवश्यक है?

लेखक:
सी.बी.पी. श्रीवास्तव — अध्यक्ष, सेंटर फॉर एप्लाइड रिसर्च इन गवर्नेंस, दिल्ली

1. संदर्भ / पृष्ठभूमि

कानून और न्याय मंत्री ने भारत की *सभ्यतागत विरासत* पर आधारित न्यायिक सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है।

उन्होंने **'पंच परमेश्वर'** की अवधारणा का उल्लेख किया — जो सामूहिक सहमति से विवाद समाधान पर बल देती है — और इस

सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए **वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली (Alternative Dispute Resolution – ADR)** को सशक्त करने की आवश्यकता बताई।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 ने भारत की न्याय व्यवस्था में गंभीर चुनौतियों की ओर संकेत किया है — विशेषकर **मुकदमों में देरी, जवाबदेही की कमी, और रिक्त पदों** के संदर्भ में।

2. समस्या का पैमाना

न्यायपालिका का स्तर	**लंबित मामले (लगभग)**
सर्वोच्च न्यायालय	81,868
उच्च न्यायालय	62.9 लाख
कुल (सभी न्यायालय)	4.57 करोड़

लगातार बढ़ती लंबित मामलों की संख्या **न्याय में देरी** का कारण बन रही है, जिससे **न्याय की निष्पक्षता और भरोसा** दोनों कमजोर पड़ते हैं। राज्यों के बीच असमानता भी समस्या को बढ़ाती है — उत्तर प्रदेश, बिहार, और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बैकलॉग विशेष रूप से अधिक है।

---

3. एडीआर (Alternative Dispute Resolution) क्या है?

एडीआर ऐसी प्रणाली है जिसके तहत पारंपरिक अदालतों के बाहर **तेजी से, कम लागत में और सहभागी ढंग से** विवादों का निपटारा किया जाता है।

एडीआर के प्रमुख रूप:

- पंचाट (Arbitration)
- सुलह (Conciliation)
- मध्यस्थता (Mediation)
- वार्ता (Negotiation)
- न्यायिक निपटान / लोक अदालत (Judicial Settlement / Lok Adalat)

---

4. एडीआर का संवैधानिक और विधिक आधार

- **अनुच्छेद 39(क)** – राज्य को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
- **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89** – पंचाट, सुलह, मध्यस्थता और न्यायिक निपटान (लोक अदालत) के माध्यम से विवाद समाधान का प्रावधान करती है।
- **पंचाट और सुलह अधिनियम, 1996** – भारत में पंचाट और सुलह की संपूर्ण रूपरेखा प्रदान करता है।
- **2021 संशोधन** – *भारतीय पंचाट परिषद (Indian Arbitration Council)* की स्थापना की, जिससे संस्थागत समर्थन मिला।
- **पंचाट और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2021** – विवाद समाधान के लिए *अधिकतम 180 दिनों* की समयसीमा तय करता है ताकि न्याय तेजी से हो सके।

---

5. लोक अदालतों की भूमिका और कार्यप्रणाली

लोक अदालतें **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** के तहत संचालित होती हैं, जो **अनुच्छेद 39(क)** से प्रेरित है।

मुख्य प्रावधान:

- धारा 22B – *राष्ट्रीय लोक अदालत* और *ई-लोक अदालत* की स्थापना।
- पहली लोक अदालत – 1982 में गुजरात में आयोजित; पहली ई-लोक अदालत – 1999 में प्रारंभ।

मुख्य विशेषताएँ:

- लोक अदालत का निर्णय *अंतिम और बाध्यकारी* होता है, अपील की अनुमति नहीं।
- मुकदमा दायर होने से पहले ही विवाद सुलझाकर न्याय वितरण को सुदृढ़ करती हैं।
- *संशोधन योग्य अपराधों* (जैसे चोरी, अतिक्रमण, व्यभिचार) तथा *नागरिक विवादों* (धन वसूली, अनुबंध संबंधी विवाद) में उपयोगी।

---

6. मुकदमे से पूर्व मध्यस्थता (Pre-Litigation Mediation)

- दीवानी और वाणिज्यिक विवादों में अदालत में जाने से पहले मध्यस्थता को प्रोत्साहित किया जाता है।
- इससे *मुकदमेबाजी का बोझ घटता है* और *सामाजिक एवं व्यावसायिक संबंध* बने रहते हैं।
- यदि एडीआर विफल भी हो जाए, तो बाद में अदालत का रुख किया जा सकता है — लेकिन एडीआर को *पहली पंक्ति का विवाद समाधान* माना गया है।

---

7. एडीआर को सशक्त करना क्यों आवश्यक है

(A) न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ का दृष्टिकोण

- मध्यस्थता भारत के सभ्यतागत मूल्यों का प्रतीक है क्योंकि यह संवाद और सहमति को बढ़ावा देती है।
- यह व्यक्तियों को उनके *अपने शर्तों पर न्याय* दिलाने का माध्यम है — एक सुलभ और सहानुभूतिपूर्ण वातावरण में।

(B) प्रमुख लाभ

- **गति (Speed):** मामलों के लंबित रहने और देरी को कम करता है।
- **सुलभता (Accessibility):** स्थानीय भाषा और परिचित वातावरण में न्याय उपलब्ध कराता है।
- **दक्षता (Efficiency):** अदालतों और पक्षकारों का समय व संसाधन बचाता है।
- **सामाजिक सौहार्द (Social Harmony):** विवादों के समाधान के साथ संबंधों को पुनर्स्थापित करता है।
- **समावेशन (Inclusiveness):** वंचित वर्गों को न्याय प्रणाली में सहभागी बनाता है।

8. डेटा अंतर्दृष्टि – इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023

संकेतक	निष्कर्ष
लंबित मामलों की अवधि	कुछ मामले 6 वर्ष से अधिक लंबित
रिक्तियों की दर	जिला न्यायालयों में 33%, उच्च न्यायालयों में 21%
कार्यभार	उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल में प्रति न्यायाधीश 4,000 से अधिक मामले
अत्यधिक देरी	उच्च/अधीनस्थ न्यायालयों में कुछ मामले 10 वर्ष से अधिक लंबित

यह रिपोर्ट बताती है कि **राज्य-स्तरीय सहयोग** और **न्यायिक अवसंरचना सुदृढ़ीकरण** न्याय तक पहुँच सुधारने के लिए आवश्यक हैं।

9. राज्यवार अवलोकन

उच्च लंबित मामलों वाले राज्य:

- आंध्र प्रदेश
- उत्तर प्रदेश
- बिहार

इन राज्यों में **एडीआर प्रणालियों को शीघ्र अपनाना** अत्यंत आवश्यक है ताकि मामलों के निस्तारण की दर बढ़ाई जा सके और पारंपरिक न्यायालयों पर दबाव घटाया जा सके।

10. आगे की राह (Way Forward)

(A) संस्थागत सुदृढ़ीकरण

- सभी जिलों में एडीआर केंद्र, मध्यस्थता कक्ष और लोक अदालतें स्थापित की जाएं।
- दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में *अनिवार्य पूर्व-मुकदमा मध्यस्थता* लागू की जाए।

(B) डिजिटल विस्तार

- *ई-लोक अदालतों* और *ऑनलाइन मध्यस्थता प्लेटफ़ॉर्म* को सशक्त किया जाए।

(C) विधिक एवं प्रक्रिया सुधार

- मध्यस्थता समझौतों की *प्रवर्तनीयता (enforceability)* सुनिश्चित करने हेतु कानूनों में संशोधन किए जाएं।
- उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में *अदालत-संलग्न एडीआर प्रणाली* को बढ़ावा दिया जाए।

(D) क्षमता निर्माण

- मध्यस्थों, पंचों और विधिक सहायता अधिकारियों को *वार्ता एवं विवाद समाधान कौशल* में प्रशिक्षित किया जाए।

11. निष्कर्ष

भारत की न्यायपालिका में **4.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित** हैं, जिससे *समयबद्ध न्याय* तक पहुँच एक गंभीर चुनौती बन गई है।

यदि **वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली (ADR)** को संस्थागत रूप से सशक्त किया जाए, तो भारत "**सभी के लिए न्याय (Justice for All)**" के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है — न्याय को सस्ता, त्वरित और सर्वसमावेशी बना सकता है।

मध्यस्थता, पंचाट, सुलह और लोक अदालतों जैसे एडीआर तंत्रों को सुदृढ़ करना ही **अनुच्छेद 39(क)** में निहित *समान न्याय और विधिक सहायता* के वादे को साकार करने की दिशा में निर्णायक कदम है।

HOW TO USE IT

प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर-II (शासन, संविधान, राजनीति)

यह विषय सीधे और सबसे महत्वपूर्ण रूप से **"न्यायपालिका", "सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप"**, तथा **"भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ"** से संबंधित है।

---

1. न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली

कैसे उपयोग करें:
लंबित मामलों के चौंकाने वाले आँकड़े (कुल 4.57 करोड़, उच्च न्यायालयों में 62.9 लाख) इस समस्या की जड़ हैं — जिन्हें *वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली (ADR)* दूर करने का प्रयास करती है।

- **न्यायिक देरी की समीक्षा (Critique of Judicial Delays):**
  यह आँकड़े भारतीय न्याय प्रणाली की अक्षमता और देरी का ठोस प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। UPSC में बार-बार आने वाले प्रश्नों में इस डेटा का उपयोग किया जा सकता है।
- **एडीआर एक सुधार के रूप में (ADR as a Reform):**
  पंचाट (Arbitration), मध्यस्थता (Mediation) और लोक अदालतें (Lok Adalats) जैसी प्रणालियाँ औपचारिक न्यायपालिका पर बोझ कम करने और उसे अधिक कुशल बनाने के *संरचनात्मक सुधार (structural reforms)* के रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं।

---

2. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

कैसे उपयोग करें:
एडीआर का *संवैधानिक और विधिक आधार* एक सशक्त बिंदु है।

- **अनुच्छेद 39(क) (Directive Principle of State Policy):**
  यह अनुच्छेद "समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता" का दायित्व राज्य पर डालता है। यह एडीआर की *संवैधानिक आत्मा* है — जो यह दर्शाता है कि एडीआर केवल प्रशासनिक उपकरण नहीं बल्कि *संवैधानिक लक्ष्य* की प्राप्ति का माध्यम है।
- **विधिक ढांचा (Legal Framework):**
  सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 और *पंचाट एवं सुलह अधिनियम, 1996* का उल्लेख करके आप एडीआर की कानूनी संरचना की गहरी समझ प्रदर्शित कर सकते हैं।

3. विकास हेतु सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

कैसे उपयोग करें:
कानून मंत्री के भाषण में उल्लेखित एडीआर को बढ़ावा देने के प्रयासों को सरकार की *महत्वपूर्ण नीति हस्तक्षेप* के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

- **समयबद्ध न्याय:**
  पंचाट और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2021 में *180 दिनों की सीमा* तय की गई है — इसे समयबद्ध न्याय की दिशा में *सकारात्मक कदम* के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है।
- **इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 का उपयोग:**
  रिपोर्ट में बताई गई समस्याएँ (रिक्तियाँ, लंबित मामले) इन सुधारों की *आवश्यकता और औचित्य* को पुष्ट करती हैं।

द्वितीयक प्रासंगिकता: जीएस पेपर-IV (नैतिकता, ईमानदारी और अभिरुचि)

एडीआर केवल कानूनी या प्रशासनिक विषय नहीं है, बल्कि इसका गहरा **नैतिक और दार्शनिक आयाम (ethical and philosophical dimension)** भी है।

---

1. शासन में नैतिकता (Ethics in Governance)

कैसे उपयोग करें:
एडीआर के मूल सिद्धांत स्वयं में नैतिक मूल्यों पर आधारित हैं।

- **पुनर्स्थापनात्मक बनाम प्रतिशोधात्मक न्याय (Restorative vs. Retributive Justice):**
  मध्यस्थता और लोक अदालतें *पुनर्स्थापनात्मक न्याय* (Restorative Justice) को बढ़ावा देती हैं — जो संबंधों को सुधारने और पारस्परिक समाधान खोजने पर केंद्रित है। यह पारंपरिक अदालतों के *जीत-हार वाले प्रतिशोधात्मक ढांचे (adversarial, win-lose paradigm)* की तुलना में अधिक मानवीय और नैतिक दृष्टिकोण है।
- **न्याय तक पहुँच (Access to Justice):**
  जैसा कि *न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़* ने कहा — एडीआर एक "सुलभ और सहानुभूतिपूर्ण वातावरण" में न्याय प्रदान करता है।
  न्याय में देरी या अनुपलब्धता *न्याय प्रणाली की नैतिक विफलता* है, जिसे एडीआर सुधारता है।

निष्कर्ष:
एडीआर केवल कानूनी सुधार नहीं बल्कि *संवैधानिक प्रतिबद्धता और नैतिक अनिवार्यता* दोनों है — जो भारत की न्याय प्रणाली को अधिक **सुलभ, समयबद्ध, और मानवीय** बनाने की दिशा में अग्रसर करती है।

MENTORA IAS "YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"